भाग–III

देवलधार माईथान –गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण – 10.650 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 10903 / 2015)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ / नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं। प्रस्तावित **10.650 किमी0** की लम्बाई में **कुल 16 बॉज** के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। अतः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अलग से कोई निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण **दिनांक 13.03.2015** के आधार पर ही सहमति व्यक्त की जा रही है।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भागः ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ, सहमत।
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले **0 से 10 व्यास श्रेणी** के सभी वृक्षों का प्रत्यारोपण प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांकः– 11.08.2015

स्थानः– अल्मोड़ा।

(प्रेम कुमार)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा